बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, http// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 21/10/2022

अधिसूचना

संख्या-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-48/2022 1974 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1808 दिनांक 27.09.2022 द्वारा अधिसूचित रोहतास जिला के शिवसागर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या-1950 दिनांक 19.10.2022 द्वारा स्थगित किया गया है। पुन: उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	09.11.2022 (बुधवार) से 10.11.2022 (गुरूवार) तक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.11.2022 (शुक्रवार) एवं 12.11.2022 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	14.11.2022 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	21.11.2022 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	21.11.2022 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	23.11.2022 (बुधवार)

2. निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 02.11.2022 को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन विनिर्दिष्ट स्थलों पर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में शिवसागर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 04.11.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के आलोक में नामांकन दायर किया गया है तथा उनका नाम संशोधित मतदाता सूची में अंकित है, तो उन्हें पुनः नामांकन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

6. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 21.11.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

7. अधिसूचना संख्या 1462 दिनांक 02.08.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1974 पटना/ दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसें अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1974 पटना/ दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), रोहतास/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ अपर समाहर्त्ता, रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), शिवसागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1974 पटना/ दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1974 पटना/ दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।